



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012021-224130
CG-DL-E-02012021-224130

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4230]
No. 4230]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4820(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2898(अ) दिनांक 27.08.20, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के जालौर जिले में NH-754K के कि.मी. 504.743 से कि.मी. 533.743 (उपखण्ड अधिकारी बागोडा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का.आ. 2898(अ) दिनांक 27.08.20 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 11.09.20 को दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जालौर जिले में NH-754K के कि.मी. 504.743 से कि.मी. 533.743 (उपखण्ड अधिकारी बागोडा) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: जालौर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बागोडा				
	गांव का नाम: बगोडा				
1	1533	निजी	चाही दोयम जाव दोयम	0.0188	(1) दानसिंह पुत्र सरदारसिंह हिस्सा-2/3 जाति-राजपूत सा. धुम्बडिया खातेदार (2) पहाड़सिंह पुत्र सरदारसिंह हिस्सा-1/3 जाति-राजपूत सा. धुम्बडिया खातेदार हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बागोडा (१५३३)
2	1535	सरकारी	गै. मु. नदी	0.0108	राज.सरकार (१५३५)
	गांव का नाम: भालनी				
3	1579	निजी	चाही सोयम जाव सोयम	0.0132	(1) खेराजराम पुत्र हरींगाराम हिस्सा-पूर्ण जाति-विश्वोई सा. देह खातेदार (खसरा नं. 1539 बिना रहन) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा धुम्बडिया

					(1579)
4	1587	निजी	बारानी सोयम	0.0097	(1) पुनमाराम पुत्र सालुराम हिस्सा- 1/15 जाति-विश्वोई सा. देह खातेदार (2) हनुमानाराम पुत्र पुनमाराम हिस्सा- 14/15 जाति-विश्वोई सा. देह खातेदार (1587)
5	1593	निजी	बारानी सोयम	0.0002	(1) भीयाराम पुत्र चिमनाराम हिस्सा- पूर्ण जाति-विश्वोई सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा मोरसीम (1593)
6	1930/1590	निजी	बारानी सोयम	0.0021	(1) राजेश्वरी पत्नी मोहनलाल हिस्सा- पूर्ण जाति- विश्वोई सा. देह खातेदार (1930/1590)
7	1931/1590	निजी	बारानी सोयम	0.0049	(1) भीयाराम पुत्र चीमाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- विश्वोई सा. देह खातेदार (1931/1590)
	गांव का नाम: गावडी				
8	1190/729	निजी	चाही प्रथम जाव प्रथम	0.0187	(1) बद्धसिंह पुत्र मलसिंह हिस्सा-पूर्ण जाति-राजपूत सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धुम्बडिया (1190/729)
	गांव का नाम: कूका				
9	106	निजी	बारानी दोयम	0.0004	(1) ओखा पुत्र वेना हिस्सा-1/2 जाति- मेघवंशी सा. देह खातेदार राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा धुम्बडिया (2) नारणा पुत्र वेना हिस्सा-1/2 जाति- मेघवंशी सा. देह खातेदार स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा भीनमाल (106)

	गांव का नाम: कूडाध्वेचा				
10	463	निजी	चाही प्रथम जाव प्रथम	0.0693	(1) पनाराम पुत्र मेदा हिस्सा-पूर्ण जाति- कलबी सा. देह खातेदार (463)
	गांव का नाम: मेडा पुरोहितान				
11	169/685	सरकारी	बारानी दोयम	0.0062	राज.सरकार (169/685)
			कुल	0.1543	

[फा. सं. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3D3]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2020

S.O. 4820(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2898(E) dated 27.08.20, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-754K on the stretch of land from Km 504.743 to Km 533.743 (Sub-Divisional Officer Bagora) in the district of Jalore in the state of Rajasthan

And whereas the substance of the said notification S.O. 2898(E) dated 27.08.20 has been published in Dainik Bhaskar and Rajasthan Patrika both dated 11.09.20; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the NH-754K on the stretch of land from Km 504.743 to Km 533.743 (Sub-Divisional Officer Bagora) in the district of Jalore in the state of Rajasthan.

State: RAJASTHAN		District: JALORE			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bagora				
	Village: Bagora				
1	1533	Private	Chahi II Jaav II	0.0188	1. Dan singh s/o Sardar singh hissa 2/3 Caste Rajput sah Dhumbariya khatedar 2. Pahad singh s/o Sardar singh hissa 1/3 Caste Rajput sah Dhumbadiya khatedar hissa 1/3 (purn khata) RMGB branch Bagoda 1533
2	1535	Government	G.M. Nadi	0.0108	Rajasthan Government 1535
	Village: Bhalni				
3	1579	Private	Chahi 3 Jaav 3	0.0132	(1) Kherajram S/o Haringaram hissa Purn Caste Vishnoi sah. Deh. Khatedar (Khasra no. 1539 Bina Rahan) Rajasthan Marudhara Grameen Bank Branch Dhumbadiya 1579
4	1587	Private	Barani 3	0.0097	(1) Punmaram s/o Saluram hissa 1/15 Caste Vishnoi sa. Deh. Khatedar (2) Hanumanaram s/o Punmaram hissa 14/15 Caste Vishnoi sa. Deh. Khatedar 1587
5	1593	Private	Barani 3	0.0002	(1) Bhiyaram s/o Chimnaram hissa Purn Caste Vishnoi sa. Deh. Khatedar (Purn khata) SBI branch Morseem 1593
6	1930/1590	Private	Barani III	0.0021	(1) Rajeshwari W/o Mohanlal hissa- Purn caste Vishnoi sah. Deh. Khatedar. 1930/1590
7	1931/1590	Private	Barani III	0.0049	(1) Bhiyaram S/o Chimaram hissa - Purn caste Vishnoi sah. Deh. Khatedar. 1931/1590
	Village: Gaonri				
8	1190/729	Private	Chahi I Jaav I	0.0187	(1) Badhsingh S/o Malsingh hissa- Purn

					caste- Rajput sah. Deh. Khatedar (Purn Khata) Rajasthan Marudhara Bank Branch Dhumbadiya. 1190/729
	Village: Kooka				
9	106	Private	Barani 2	0.0004	(1) Okha S/o Vena hissa- 1/2 caste Meghwanshi sah. Deh. Khatedar Rajasthan Marudhara Grameen Bank Branch Dhumbadiya. (2) Narna S/o Vena hissa- 1/2 caste Meghwanshi sah. Deh. Khatedar SBBJ Branch Bhinmal. 106
	Village: Kura Dhavecha				
10	463	Private	Chahi I Jaav I	0.0693	(1) Panaram S/o Meda hissa Purn caste Kalbi sah. Deh. Khatedar. 463
	Village: Meda Purohitan				
11	169/685	Government	Barani II	0.0062	Government of Rajasthan 169/685
			TOTAL	0.1543	

[F. No. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3D3]

RAJESH GUPTA, Director